मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./3638 /स्था./NR–2/MGNREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 14.4.10

प्रति,

1. **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   जिला समस्त
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   जिला समस्त
3. **कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)**
   जिला समस्त
   मध्यप्रदेश

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत 'ग्राम रोजगार सहायक' के चयन के संबंध में जिलों की समस्याओं के निराकरण बाबत् मार्गदर्शन।

संदर्भः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 14115/एनआर–2/2009 दि. 10.11.09

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से ग्राम रोजगार सहायक के चयन एवं नियुक्ति के संबंध मे दिशा निर्देश जारी किये गये है। विभिन्न जिलों में 'ग्राम रोजगार सहायक' के चयन एवं नियुक्ति के संबंध व्याप्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु मार्गदर्शन मांगा गया है, जो कि निम्नानुसार है :–

क्र.	जिलों द्वारा मार्गदर्शन के बिन्दु	परिषद् का अभिमत
1.	जिले मे योजना दिनांक 01.04.08 से लागू की गई है। जिले में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाना या नहीं।	ग्राम रोजगार सहायक की संविदा नियुक्ति हेतु विगत किन्हीं दो वित्तीय वर्ष मे ग्राम पंचायत में राशि रू. 10.00 लाख से अधिक व्यय का प्रावधान है। अतः प्रावधान अनुसार कार्यवाही करें।
2.	रोजगार सहायक की चयन प्रक्रिया में आरक्षण (रोस्टर) एवं आरक्षित वर्ग हेतु आयु सीमा मे छूट संबंधी निर्देश प्राप्त नहीं हुये है।	उक्त संबंध मे परिषद् के कार्यालयीन पत्र क्र. 2284 दिनांक 12.03.10 के द्वारा मार्ग दर्शन दिया जा चुका है। अतः उक्त पत्रानुसार कार्यवाही की जावे।

क्र.	जिलों द्वारा मार्गदर्शन के बिन्दु	परिषद् का अभिमत
3	ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति म.प्र. मा.शि.मण्डल / सेन्ट्रल बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से उत्तीर्ण हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या समकक्ष आवेदन पर ही विचार किया जावेगा या अन्य बोर्ड जैसे संस्कृत बोर्ड एवं ओपेन बोर्ड से उत्तीण व्यक्ति का भी आवेदन मान्य किया जावेगा।	म.प्र. शासन अथवा केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड के आवेदन मान्य किये जावेंगे। अन्य बोर्ड जैसे संस्कृत बोर्ड, ओपन बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यार्थियो के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

14.4.10

(ए0के0सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशा0)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

क्र./3639 /स्था./एनआर–2/एमजीएनआरईजीएस–एमपी/2010 भोपाल, दिनांक 14.4.10

प्रतिलिपि :–

समस्त संभागायुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।

14.4

संयुक्त आयुक्त (प्रशा0)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल